

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी - श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 69ए/16
संस्थापन दिनांक:- 17.09.2016
फाईलिंग नं. 400332/2016

1. दिनेश पिता पवन सिंह, उम्र 40 वर्ष
 2. मनोज पिता पवन सिंह, उम्र 45 वर्ष
 3. रघुनाथ उर्फ खुमान सिंह पिता पवन सिंह, उम्र 35 वर्ष
सभी निवासी खरपड़ाखेड़ी, तहसील आमला,
जिला बैतूल (म.प्र.)
-वादीगण

वि रु द्ध

1. श्रीमान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अधिकारी
(एस.जी.ओ.आर.ई.एस.) आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
 2. श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
 3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)
-प्रतिवादीगण

—: (आदेश) :-

(आज दिनांक 31.10.2017 को पारित)

1 इस आदेश द्वारा वादीगण की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।

2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की ग्राम खरपड़ा खेड़ी स्थित भूमि ख.नं. 4/2 रकबा 0.361 हे., ख.नं. 41/2 रकबा 0.021 हे., ख.नं. 96 रकबा 0.506 हे., कुल रकबा 0.888 हे. है जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 22.06.1997 को गोदाबाई के द्वारा क्रय की गयी थी। क्रय दिनांक से ही वादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा है तथा ख.नं. 4/2 के 30 गुणा 30 फुट जमीन पर मकान निर्माण भी किया गया परंतु दिनांक 22.08.2015 को बिना वादीगण को बताये और नाप किये प्रतिवादी क्र. 02 द्वारा निर्माण कार्य तोड़ दिया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा शासकीय भूमि 85/1 में बाजार हाट हेतु काम्प्लेक्स बनाया जा रहा है परंतु वादीगण की भूमि 4/2 रकबा 0.361 हे. पर चबूतरे का निर्माण प्रतिवादीगण के द्वारा किया जा रहा है। वादी के द्वारा ख.नं. 4/2 रकबा 0.

361 हे. पर सीमांकन हेतु कई बार आवेदन दिया गया परंतु आज तक सीमांकन नहीं किया गया। अतः जब तक सीमांकन कार्य न हो जावे, प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य से रोका जावे।

3 प्रतिवादीगण के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि वादीगण के द्वारा ख.नं. 4/2 के 30 गुणा 30 फिट जमीन पर मकान निर्माण न किया जाकर शासकीय रास्ते की भूमि ख.नं. 85/1 में किया गया था जिसे प्रतिवादीगण द्वारा हटाये जाने के लिए कहे जाने पर वादी ने स्वयं अतिक्रमण (मकान) तोड़कर हटा दिया। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि ख.नं. 4/2 पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि शासकीय भूमि 85/1 रकबा 1.129 हे. पर किया जा रहा है। वादीगण के द्वारा पूर्व में भी हाट बाजार एवं चबूतरे निर्माण के संबंध में एक व्यवहार वाद क्र. 1अ/16 प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन दिनांक 26.03.2016 को खारिज किया गया परंतु पुनः से वादीगण ने दावा एवं आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि प्रचलन योग्य नहीं है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :—

1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 का निराकरण

5 वादी ने अपने आवेदन के माध्यम से यह बताया है कि उसके स्वत्व की ख.नं. 4/2 के 30 गुणा 30 फिट जमीन पर मकान का निर्माण कार्य किया गया है परंतु प्रतिवादीगण वादी की 4/2 रकबा 0.361 हे. में चबूतरे का निर्माण करना चाहते हैं। वादी ने अपनी भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन भी दिया परंतु अभी तक सीमांकन नहीं हो पाया है। वादी की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेज किशतबंदी खतौनी, खसरा वर्ष 2015-16 तथा विक्रय पत्र दिनांक 21.01.1997 प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित भूमि वादी के स्वत्व की होना प्रकट हो रही है।

6 प्रतिवादी की ओर से अपने आवेदन में यह लेख किया गया है कि उनके द्वारा शासकीय भूमि ख.नं. 85/1 पर निर्माण कार्य किया जा रहा है न कि वादी की भूमि ख.नं. 4/2 पर। वादीगण का मकान शासकीय भूमि पर बना था

जिसे तोड़कर हटा दिया गया है और शासकीय भूमि पर ही हाट बाजार और चबूतरे का निर्माण किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण के द्वारा ख.नं. 85/1 का विधिवत सीमांकन भी कराया जा चुका है। साथ ही अपने आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र तथा दस्तावेज ख.नं. 85/1 की सीमांकन रिपोर्ट एवं शासकीय भूमि 85/1 एवं 85/2 पर हाट निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पंजी एवं उसकी स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं एवं साथ ही वादी की ओर से उपर्युक्त भूमियों के संबंध में व्यवहार न्यायालय आमला में व्यवहार वाद क्र. 1ए/16 में अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2016 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादी का ख. नं. 4/1 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया था।

7 वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनके अवलोकन से विवादित भूमि ख.नं. 4/2 वादी के स्वत्व की होना प्रकट होती है परंतु वादी के द्वारा न तो स्पष्ट अभिवचन किया गया है और न ही ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित भूमि ख.नं. 4/2 रकबा 0.361 के कितने भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा चबूतरे का निर्माण का अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही वादी ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा अपनी भूमि ख.नं. 4/2 के सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था परंतु सीमांकन नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में वादी किन आधारों पर यह बता रहा है कि प्रतिवादीगण के द्वारा उसकी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से वादी की भूमि ख.नं. 4/2 से लगी हुई शासकीय भूमि 85/1 का विधिवत सीमांकन हो चुका है जिसमें वादी के द्वारा मकान एवं मक्का बोकर अतिक्रमण भी पाया गया था।

8 वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह नहीं बताया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि के कितने भाग पर अतिक्रमण किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण ने शासकीय भूमि पर सीमांकन उपरांत निर्माण कार्य करना बताया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं यह साक्ष्य का विषय है, इस स्तर पर उसका निराकरण नहीं किया जा सकता है परंतु विवादित भूमि ख.नं. 4/2 रकबा 0.361 हे. प्रथम दृष्टया वादी के स्वत्व की होना प्रकट हो रही है जिसे प्रतिवादीगण के द्वारा भी स्वीकार किया गया है। साथ ही विवादित भूमि से ही शासकीय भूमि ख.नं. 85/1 एवं 85/2 लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वादी ने स्वत्व की घोषणा के संबंध में विचारण योग्य प्रश्न उठाया है। फलतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 2 एवं 3 का निराकरण

9 विचारणीय प्रश्न क्र. 01 के निष्कर्षानुसार विवादित भूमि प्रथम दृष्टया

वादी के स्वत्व की होना परिलक्षित हो रही है परंतु वादी के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि के कितने भू-भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही वादी ने स्वयं यह बताया है कि अभी विवादित भूमि का सीमांकन कार्य नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादी ने शासकीय भूमि ख.नं. 85/1 के सीमांकन के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। ख.नं. 4/2 के विधिवत सीमांकन के बिना यह नहीं माना जा सकता कि वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह बताया गया है कि शासकीय भूमि पर हाट बाजार एवं चबूतरे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने से निषेधित किया जाता है तो निश्चित ही सार्वजनिक हित प्रभावित होगा। साथ ही यदि वादी अपना मामला गुण दोष के आधार पर प्रमाणित करने में सफल रहता है तब वादी को रिक्त आधिपत्य दिलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में नहीं पाये गये हैं। फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक-1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

10 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर पारित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल